<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या- 39/2020/51(1)/41-2020-42(बजट)/2019</u>

लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 2020

<u>संख्या-36/2020/51/41-2020-42(बजट)/2019 दिनांक 28 जनवरी, 2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद मथुरा के गोवर्धन पर्वत पर प्राकृतिक रूप से विराजमान धौ पीलू छयोंकर आदि के स्थापित वृक्षों के वन वर्धनिक पद्धति के अनुसार सम्बर्धन तथा संरक्षण की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-**<u>36/2020/51/41-2020-42(बजट)/2019 दिनांक 28 जनवरी, 2020</u>** के प्रस्तर-2 में **त्रुटिवश कार्यदायी संस्था के रूप में मथुरा व़न्दावन विकास प्राधिकरण टंकित हो गया है**, जबकि **कार्यदायी संस्था - सामाजिक वानिकी प्रभाग , मथुरा** टंकित होना चाहिए था।

2. अत: शासनादेश संख्या-**<u>36/2020/51/41-2020-42(बजट)/2019 दिनांक 28 जनवरी, 2020</u>** के प्रस्तर-2 को आंशिक संशोधित करते हुए **कार्यदायी संस्था - मथुरा व़न्दावन विकास प्राधिकरण** का विलोपन कर उसके स्थान पर **कार्यदायी संस्था -सामाजिक वानिकी प्रभाग , मथुरा** किया जाता है। **तत्क्रम में प्रश्नगत शासनादेश के पृष्ठांकन में** वन संरक्षक **,** आगरा वृत्त**,** आगरा एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग**,** मथुरा को भी प्रतिलिपि भेजा जाना सम्मिलित किया जाता है। शासनादेश दिनांक 28 जनवरी, 2020 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. अत: शासनादेश संख्या-**<u>36/2020/51/41-2020-42(बजट)/2019 दिनांक 28 जनवरी, 2020</u>** उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-39/2020/51(1)/41-2020-42(बजट)/2019</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
6- वन संरक्षक **,** आगरा वृत्त**,** आगरा
7- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग**,** मथुरा
8- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/मथुरा।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
10- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
11- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
13- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
14- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
15- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।